भारत सरकार **लोकसभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2721**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विश्व व्यापार संगठन

2721. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समक्ष भारत के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) ऐसी शिकायतें दर्ज कराने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक शिकायत के क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) इस प्रकार की शिकायतों के संबंध में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर का सार क्या है;

(ङ) डब्ल्यूटीओ में लंबित शिकायतों से निपटने के लिए किन-किन विशेषज्ञों और संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग किया गया है;

(च) ऐसे विशेषज्ञों और संस्थाओं की सेवाएं लेने के संबंध में कुल कितनी निधि खर्च की गई है; और इन लंबित शिकायतों के समाधान के लिए कितना व्यय किए जाने का अनुमान है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च) वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के विवादों के निपटारे को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित समझौते (डीएसयू), जिसे आमतौर पर विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान समझौता कहा जाता है, के तहत भारत के खिलाफ नौं (9) विवाद लंबित हैं। डीएस518, डीएस579, डीएस580, डीएस581, डीएस582, डीएस584, डीएस588, डीएस642 और डीएस644। इन विवादों के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्रत्येक विवाद के मुख्य पहलुओं का एक संक्षिप्त सारांश निम्नवत है:

क्र.सं.	विवाद	शिकायतकर्ता	विवरण
1.	डीएस518 भारत - लोहा और इस्पात उत्पादों के आयात पर कुछ उपाय	जापान	• यह विवाद कुछ लौह और इस्पात उत्पादों पर भारत के सुरक्षा उपायों के लिए जापान की चुनौती से संबंधित है। भारत ने यह रूख अपनाया कि ये उपाय विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुकूल थे और उन्हें तब तक लागू करना जारी रखा जब तक कि वे सामान्य क्रम में समाप्त नहीं हो गए। भारत ने पैनल की रिपोर्ट के खिलाफ अपील की है और डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निष्क्रिय होने के कारण यह अपील वर्तमान में लंबित है।
2.	डीएस579 भारत - चीनी और गन्ने से जुड़े उपाय	ब्राज़ील	• ये विवाद गन्ना उत्पादकों को भारत का घरेलू सहयोग और चीनी के लिए कथित निर्यात सब्सिडी से संबंधित थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये उपाय कृषि पर समझौते (एओए) के साथ-साथ सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समझौते (एएससीएम) के प्रावधानों के साथ असंगत हैं। • भारत ने डब्ल्यूटीओ पैनल के समक्ष इन दावों का विरोध किया और कहा कि उसकी चीनी समर्थन नीतियां और निर्यात संबंधी योजनाएं कृषि समझौते और एससीएम समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ की प्रतिबद्धताओं और अधिकारों के अनुसार हैं। • ये उपाय गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिए जारी रहे हैं। भारत ने पैनल रिपोर्ट के खिलाफ अपील की है और अपीलें लंबित हैं।
3.	डीएस580 भारत - चीनी और गन्ने से जुड़े उपाय	ऑस्ट्रेलिया	
4.	डीएस581 भारत - चीनी और गन्ने से संबंधित उपाय	ग्वाटेमाला	
5.	डीएस582 भारत - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ वस्तुओं पर टैरिफ व्यवहार	यूरोपीय संघ	• ये विवाद भारत द्वारा कुछ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों को दिए गए टैरिफ व्यवहार से संबंधित हैं। • शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारत ने भारत की डब्ल्यूटीओ अनुसूची में दर्ज की गई बाध्य दरों से अधिक सीमा शुल्क लगाया है, जिससे गैट 1994 का उल्लंघन करते हुए इन
6.	डीएस584 भारत - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ वस्तुओं पर टैरिफ व्यवहार	जापान	

7.	डीएस588 भारत - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ वस्तुओं पर टैरिफ व्यवहार	चीनी ताइपे	आईसीटी वस्तुओं के साथ कम अनुकूल व्यवहार किया गया है। • भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यूटीओ पैनल के समक्ष इन उपायों का बचाव करते हुए कहा है कि वे डब्ल्यूटीओ करारों के अंतर्गत इसके अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप हैं। ये उपाय उनके नीतिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जारी हैं। • भारत ने डीएस 582 और डीएस 584 में पैनल रिपोर्ट के खिलाफ अपील दायर की है, जबकि डीएस 588 में पैनल रिपोर्ट को अपनाने के लिए आपसी सहमति समाधान (एमएएस) पर वार्ता करने के लिए आपसी सहमति से स्थगित किया जा रहा है।
8.	डीएस642 भारत - ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में व्यापार से संबंधित उपाय	चीन	• चीन ने उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक यात्री कारों और उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल के साथ-साथ कुछ प्रौद्योगिकी उत्पादों पर भारत के टैरिफ उपायों से संबंधित कुछ उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों को चुनौती दी है। • चीन का आरोप है कि ये उपाय सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते (एससीएम समझौते), टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते 1994 (जीएटीटी 1994), और व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौते (टीआरआईएम समझौते) के अनुरूप नहीं हैं। • भारत ने उपायों का बचाव करते हुए कहा है कि वे डब्ल्यूटीओ समझौतों के तहत उसके अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप हैं। ये उपाय लगातार लागू रहेंगे। • डीएस642 में पैनल की कार्यवाही चल रही है, जबकि डीएस644 में पैनल का गठन किया जाना बाकी है।
	डीएस644 भारत- सौर सेल, सौर मॉड्यूल और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वस्तुओं के व्यापार से संबंधित उपाय	चीन	

विभाग व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल), डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूएस) और डब्ल्यूटीओ विवादों में भारत के हितों की रक्षा में सहायता करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सूचीबद्ध कानूनी फर्मों की सेवाएं लेता है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, इन नौ विवादों के संबंध में सूचीबद्ध कानूनी फर्मों की सेवाओं के लिए लगभग 2,42,58,260 रुपये की राशि खर्च की गई है। चूंकि कार्यवाही जारी है, इसलिए आगे का कोई भी व्यय संबंधित विवादों की प्रगति और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।
